न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 200/2016

1 किशनलाल दत्तक पुत्र श्योचन्द।
1/1 बिमला पत्नी किशनलाल।
1/2 सुनिल पुत्र किशनलाल।
1/3 अनिल पुत्र किशनलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण झेरली तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
1/4 सुशीला पुत्री किशनलाल पत्नी नृसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी डुलानियां तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 आशाराम पुत्र श्योचन्द।
2 मदन पुत्र श्योचन्द।
3 जड़ावली पत्नी श्योचन्द।
4 चन्द्रावली पत्नी लीलाधर समस्त जाति गुर्जर निवासीगण झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
5 सावित्री पत्नी सुभाष।
6 सन्दीप पुत्र सुभाष।
7 अजय पुत्र सुभाष।
8 सुनीता पुत्री सुभाष।
9 अनिता पुत्री सुभाष समस्त जाति जाट निवासीगण झेरली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दावा उनवानी आशाराम
बनाम सुभाष वगैरह दावा बाबत बेदखली व स्थायी
निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 250/2013 निर्णय व डिक्री
दिनांक 30.06.2016

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांक:— 6-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 250/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 4 ने जमीन हाल खसरा नम्बर 503 रकबा 0.90 हैक्टर सरहद मौजा झेरली तहत तहसील सूरजगढ़ के बाबत एक दावा अदालत मातहत के यहां अपीलांट के दतक पिता श्योचन्द व सुभाष के विरूद्व बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। अपीलान्ट के दतक पिता की दौराने दावा मृत्यु होने पर अपीलान्ट को पक्षकार बनाया गया। तत्कालीन अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के उक्त दावा को दिनांक 26.05.2006 को निर्णित कर डिक्री किया और जमीन खसरा नम्बर 503 रकबा 0.64 हैक्टर के पश्चिमी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी

भाग 0.09 हैक्टर भूमि पर से अपीलान्ट व सुभाष को बेदखल करने का आदेश पारित कर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 4 को कब्जा दिलवाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2006 के विरूद्ध अपीलान्ट व सुभाष द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प सीकर की अदालत में अपील संख्या 97/2006 उनवानी सुभाष वगैरह बनाम आशाराम वगैरह प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 31.05.2008 के द्वारा खारिज की गई और तत्कालीन अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2006 को यथावत रखा गया। उक्त दोनों निर्णयों व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट व सुभाष ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां द्वितीय अपील डिक्री/टी.ए./5726/2008/झुन्झुनू उनवानी किशनलाल वगैरह बनाम आशाराम वगैरह प्रस्तुत की जिसमें खण्डपीठ ने दिनांक 27.02.2012 को निर्णय पारित कर तत्कालीन अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2006 व भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2008 को अपास्त किया और दावा को उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के यहां निर्देशों के साथ गुणावगुण पर निर्णय के लिए प्रति प्रेषित किया गया। माह जुन सन 2012 में उक्त दावा पुनः सुनवाई के लिए उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत में दर्ज हुआ। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ का पद सर्जन होने पर पत्रावली अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ से यहां दर्ज हुई। दौराने सुनवाई प्रतिवादी सुभाष की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 9 रिकार्ड पर लिया गया। अदालत मातहत ने उक्त दावा को दिनांक 30.06.2016 को बहक रेस्पोडेन्ट 1 से 4 निर्णित कर डिक्री किया और भूमि खसरा नम्बर 503 रकबा 0.64 हैक्टर वाके ग्रम झेरली के पश्चिमी भाग के 0.09 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट स रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 9 को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को दिलवाने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशों की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नहीं किया है कि वाद संख्या 80/2002 निर्णय दिनांक 05.03.2002 के प्रकाश में विचाराधीन वाद संधारणीय है अथवा नहीं। विचारण न्यायालय द्वारा इस वाद की पत्रावली को तलब ही नहीं किया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि के सहखातेदार है। सहखातेदारी की भूमि पर धारा 183 के प्रावधान लागू नही होते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार कर प्रकरण माननीय मण्डल के निर्देशों की पालना हेतु रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2002 (1) पेज 263, आरआरडी 1977 पेज 263 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट माननीय मण्डल के निर्देशों की पालना में विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। माननीय मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 80/2002 की पत्रावली तलब करने के निर्देश नहीं दिए गये है। मौके पर विवादित भूमि का कुल रकबा 0.90 हैक्टर है। इसमें से 0.64 हैक्टर रेस्पोडेन्ट की है। 0.26 हैक्टर अपीलांट की है। अपीलांट 0.26 हैक्टर से अधिक भूमि का कब्जा रखने का अधिकारी नहीं है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट की 0.26 हैक्टर भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट माननीय मण्डल के निर्देशों की पालना में विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। माननीय मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या 80/2002 की पत्रावली तलब करने के निर्देश नहीं दिए गये है। माननीय मण्डल के समक्ष अपील वर्तमान अपीलांट किशनलाल की ओर से प्रस्तुत की गई थी। इससे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

स्पष्ट है कि अपीलांट को प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड की जाने की जानकारी थी। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में माननीय मण्डल के निर्देशों की पालना में उपस्थित होकर चारा जोही नही की है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2014 को अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलांट ने दिनांक 10.07.2014 की एकपक्षीय कार्यवाही को मन्सुख करवाने की भी कोई कार्यवाही नही की है। अपीलांट को माननीय मण्डल के निर्णय की जानकारी होते हुये भी अपीलांट द्वारा 4 साल तक प्रकरण में कोई चाराजोही क्यो नही की गई इसका कोई युक्ति संगत कारण स्पष्ट नही किया गया है।

जहां तक विचारण न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है विवादित भूमि खसरा नम्बर 503 में 0.64 हैक्टेयर भूमि वादीगण की होना एवं 0.26 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 02 की होना विवादित नही है। पक्षकारों के मध्य विवाद मौके पर हिस्से से अधिक भूमि के कब्जे को लेकर है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में नायब तहसीलदार सूरजगढ़ को मौके पर जाकर सीमाज्ञान करने के आदेश दिये है। मौके पर विवादित भूमि का कुल रकबा 0.90 हैक्टर है। इसमें से 0.64 हैक्टर रेस्पोडेन्ट की है। 0.26 हैक्टर अपीलांट की है। अपीलांट 0.26 हैक्टर से अधिक भूमि का कब्जा रखने का अधिकारी नहीं है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट की 0.26 हैक्टर भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। सीमाज्ञान के उपरान्त अपीलांट का 0.26 हैक्टेयर पर ही कब्जा पाया जाता है अथवा वादीगण का 0.64 हैक्टेयर पर ही कब्जा पाया जाता है तो विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नही होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.4.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर